

अनुदान संख्या 7 – उर्वरक विभाग
GRANT No. 7 - DEPARTMENT OF FERTILISERS

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+ बचत- Saving -
				(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	Revenue:			
स्वीकृत-	Voted-			
मूल	Original	73485,35,00		
		73487,36,00	73477,41,14	-9,94,86
पूरक	Supplementary	2,01,00		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			9,97,10
पूंजीगत:	Capital:			
स्वीकृत-	Voted-	4,00	..	-4,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			4,00

टीका और टिप्पणियां

Notes and comments

1. अनुदान के राजस्व भाग में, कुल बचतें (₹994.86 लाख) जुलाई, 2018 और फरवरी, 2019 में प्राप्त किए गए ₹201.00 लाख के पूरक अनुदान से अधिक हो गई और कुल स्वीकृत प्रावधान का लगभग 1 प्रतिशत थीं। अभ्यर्पित राशि (₹997.10 लाख) भी कुल बचतों से अधिक हो गई।

1. In the revenue section of the grant, the overall savings (₹994.86 lakhs) exceeded the supplementary grants of ₹201.00 lakhs obtained in July, 2018 and February, 2019 and constituted nearly 1 percent of the total sanctioned provision. Amount surrendered (₹997.10 lakhs) also exceeded the overall savings.

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

Savings/excess occurred under the following major heads:-

				(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
शीर्ष	Head			
मुख्य शीर्ष "3451"	Major Head "3451"			
सचिवालय – आर्थिक सेवाएं	Secretariat – Economic Services			
मू.	O.	3499.00		
पू.	S.	200.00	3520.52	3522.76
पु.	R.	-178.48		+2.24

शीर्ष	Head	कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत— Saving -	
मुख्य शीर्ष "2401"	Major Head "2401"				
फसल कृषिकर्म	Crop Husbandry				
मू.	O.	2509035.00	2409035.00	2409035.00	
पु.	R.	-100000.00			..
मुख्य शीर्ष "2852"	Major Head "2852"				
उद्योग	Industries				
मू.	O.	4836000.00	4935183.38	4935183.38	
पू.	S.	1.00			..
पु.	R.	99182.38			

(I) ₹1.00 लाख का प्रावधान एक शीर्ष के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(I) Provision of ₹1.00 lakh remained wholly unutilized under one head.

(II) मुख्य शीर्ष "3451" – "सचिवालय – उर्वरक विभाग" के अंतर्गत ₹3499.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹200.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹3699.00 लाख कर दिया गया, तथापि, जो रिक्त पदों को न भरे जाने, कम परामर्शदाताओं को रखे जाने एवं कम चिकित्सा दावों की प्राप्ति होने के कारण ₹176.24 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(II) Under Major Head "3451" – "Secretariat – Department of Fertilizers" – the original provision of ₹3499.00 lakhs was augmented to ₹3699.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹200.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of ₹176.24 lakhs – due to non-filling up of vacant posts, hiring of less consultants and receipt of less medical claims.

(III) मुख्य शीर्ष "2401" – "खाद और उर्वरक – पोषक तत्वों पर आधारित सहायिकी नीति" – ₹100000.00 लाख की बचत (₹2509035.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पी एंड के स्वदेशी उर्वरक संबंधित कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

(III) Under Major Head "2401" – "Manures and Fertilizers - Nutrient Based Subsidy Policy" - saving of ₹100000.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2509035.00 lakhs) was due to requirement of less funds towards indigenous P and K Fertilizers.

2. उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹99182.38 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि मुख्य शीर्ष “2852” – “खाद उद्योग – खाद सहायिकी – यूरिया सहायिकी” के अंतर्गत ₹1.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था।

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, ₹4.00 लाख का प्रावधान चार शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा एवं अंततः अभ्यर्पित कर दिया गया था।

2. The above savings were partly (₹99182.38 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to the Parliament while obtaining token supplementary grant of ₹1.00 lakh under Major Head “2852” – “Fertilizer Industries – Fertilizer Subsidy - Urea Subsidy”.

3. In the capital section of the grant, provision of ₹4.00 lakhs remained wholly unutilized under four heads and was eventually surrendered.
